कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक – शिविरा / मा / खेलकूद–3 / 35665 / निर्णायक पैनल / 2021–22 दिनांक 30.07.2021

:: कार्यालय–आदेश ::

विभाग द्वारा संचालित विद्यालयी खेलों की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में चयन कार्य, निर्णायक कार्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ चयन / प्रशिक्षण कार्य के लिए खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत समस्त खेल प्रशिक्षकों / व्याख्याता शारीरिक शिक्षा / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक / शारीरिक शिक्षकों से सम्बद्व डाटा को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। अतः समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों / कार्यालयों में कार्यरत खेल प्रशिक्षकों / व्याख्याता शारीरिक शिक्षा / वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक / शारीरिक शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने से संबंधित निम्नांकित जानकारी इस लिंक http://dirrajshiksha.in/pti/ पर कर्मचारी आई.डी. एवं जन्म तिथि के माध्यम से प्रारूप को खोलकर दिनांक 01.08.2021 से 15.08.2021 तक आवश्यक रूप से अपलोड करें अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

1. कार्मिक का नाम मय पद :
2. पिता / पति का नाम :
3. विद्यालय का नाम :
4. ब्लॉक व जिला का नाम :
5. कर्मचारी आई.डी.
6. मोबाईल नम्बर :
7. प्रशैक्षणिक योग्यता : सीपीएड / बीपीएड / एमपीएड / पीएचडी
8. एन.आई.एस. : पूर्ण कालीन / प्रमाण पत्र कोर्स / नहीं
9. खेल का नाम :
10. स्वयं का खेल स्तर : अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्तर / नहीं
11. पूर्व में स्वयं का निर्णायक / प्रशिक्षक स्तर : राज्य / राष्ट्रीय / नहीं
12. स्वयं के उच्चतम खेल प्रमाण पत्र / प्रशैणिक योग्यता / एन.आई.एस के प्रमाण पत्र(PDF)

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा / मा / खेलकूद–3 / 35665 / निर्णायक पैनल / 2021–22 दिनांक 30.07.2021

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) संभाग।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
5. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
7. समस्त संस्था प्रधानों को पाबंद कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत कार्मिक से उक्त सूचना आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें ।
8. समस्त कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर